51000-2

Book No. :- 4 Decd No. 1

Serial No. 426

431



Deed No. 1

5000. W

## Govt. of Bihar Sub Registry Office , Benipatti

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 31/01/2017 by Vinod Kumar A stamp duty of Rs. 5000/- and other fees of Rs. 1520/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 1 in Book No. 4, Volume No. 1 on pages from 1 to 20 and has

been preserved in total 20 pages in C.D. No. 1 / Year 2017

Registering Office, Benipatti

Date: 31/01/2017

Token No: 435 /2017

# 'महात्मा गाँधी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट

का

### न्यास - पत्र

यह द्रस्ट न्यास) आज दिनांक .3.1......माह .0.1.....सन् २०१७ को द्रस्टकर्त्ता श्री विनोद कुमार पुत्र स्व० वासुहेव सिंह, वर्म-हिन्दू, निवासी ग्राम+पो०- साहरघाट, थाना-साहरघाट, जिला-गधुबनी बिहार भारत) के है, जो ट्रस्ट, न्यास) के संस्थापक / ट्रस्टी सदस्य के रुप में जाने जार ने ।

सर्वशवितमान गरभपिता परमेश्वर की असीम अनुकम्ना एवं आर्शीवाद र्स प्रेरित होकर में श्री ८ विनोद कुंगार दुत्र ख0 वासुदेव सिंह, धर्म–हिन्दू निवासी- 9470229481

Page 1 to 10



alan Winney &

### Sub District Registry Office, Benipatti

"SHEAT NOW	11.5 verin	Reg	. Year 2017	Serial	Number 426	5 0	eed Numpe	1
theist is per	Na Vinod Kuma		Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
in Sig.	Benod Ki 31.01.201		200		(20 <b>)</b>			
	Vinod Kum	ar			0.000 to 1.000 to 1.0	Militio.	wayyiji	
Sig.	Behod ku 31.01.20	mar 017	WA.					
Trustee	Ashutosh k	Kumar			1 tu		34 6	
Sig.	Ashydosi 31.01-1							
Trustee	Dilip Kuma				Timp action			
Sig.	31.01.				6			
Trustee	Kumari Sa	gyan				.• 3•3• - <i>6</i> 10		an a
Sig.	व्यु भारी	श्रान	20					
	31.1.2						All and a second	
Trustee	Madan Ku ▲	mar Singh						
Sig.	Medon	1 lamer	N					
Identifie By	d Sajan Kur	nar Nayak		and the second	- <i>395370</i> 11111111			200
Sig.	21/1/2	MK 4100						
			4		Binod	Kuman	31.1.	2017
								•

769986821709



निवासी–ग्राम+पो0–साहरघाट, थाना–साहरघाट, जिला–मधुबनी बिहार भारत) का हूँ।

इस ट्रस्ट/न्यास 'महात्मा गाँधी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के निर्माण की घोषण तथा इसके संचालन हेतु स्थाई कोष में 51,000/— (रुपये इक्यावन हजार मात्र) प्रदान करता हूँ जो ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को सुपुर्द कर दिया हूँ, तथा इस ट्रस्ट के निष्पादन की घोषणा करता हूँ:—

- ट्रस्ट न्यास) का नाम:- न्यास 'महात्मा गाँधी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट' के नाम से जानी जाएगी।
- 2. ट्रस्ट न्यास) का पंजीकृत कार्यालयः— ट्रस्ट का निबंधित कार्यालय निवासी—ग्राम+पो0—साहरघाट, थाना—साहरघाट, जिला—मधुबनी बिहार भारत) में अवस्थित होगी या न्यास के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सुविधा एवं सहमति अनुसार कार्यालय स्थानान्तरित की जा सकेगी।
- 3. ट्रस्ट न्यास) का परियोजना कार्यालय:- ट्रस्ट का परियोजना कार्यालय-निवासी-ग्राम+पो0-साहरघाट, थाना-साहरघाट, जिला-मधुबनी पिन कोड-847308, बिहार भारत) में अवसिथत होगी या न्यास के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सहमति से अन्यत्र जगहो पर स्थापित की जा सकेगी।
- ट्रस्ट न्यास का कार्य क्षेत्र :- ट्रस्ट न्यास) का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
- 5. ट्ररट न्यास) का गठन :- ट्रस्टियों के नाम, पुरा पता, पदनाम निम्न प्रकार है :-

	o. Xto arty in forth Xttom		
क्र	नाम एवं पिता/पति का नाम	पुरा पता	पदनाम
1	श्री विनोद कुमार पिता-स्व० वासुदेव सिंह	· ·	न्यास के चेयरपरसन
	उम् ४२वर्ष	साहरघाट, जिला–मधुबनी बिहार पिन	
		कोड-847308	
2	कुमारी सज्ञान पिता-जय नन्दन प्रसाद उम् ५५७म	ग्राम+पो0–फुलहर, थाना–हरलाखी,	न्यासी
	35 4594	जिला–मधुबनी बिहार पिन कोड–	
		847240	
3	श्री दिलिप कुमार पिता—राजेन्द्र सिंह उनु ३२१	ग्राम–मसहा, पो0–कोईरिया–पिपरा,	न्यासी
	35 3290	थाना–परिहार, जिला–सीतामढ़ी बिहार	
		पिन कोड–843324	
4	श्री आशुतोष कुमारू पिता— धनेश्वर प्रसाद	ग्राम+पो0–सिरौली, थाना–रिगा,	न्यासी
	34 29 94	जिला–सीतामढ़ी बिहारपिन कोड–	
	C	843302	
5	श्री मदन कुमार सिंह उम् पावर्ष	ग्राम–दुर्गापट्टी, पो०–पिपरौन,	न्यासी
	पिता–राम विलास सिंह	थाना–हरलाखी, जिला–मधुबनी बिहार	
		पिन कोड-847240	

Page 2 of 10



उपरोक्त सभी द्रस्टियों ने सहर्ष द्रस्टी बनना रवीकार किया और द्रस्ट फण्ड की उपरोक्त राशि प्राप्त की नो कि द्रस्ट की स्थायी संपत्ति मानी नायेगी।

#### दूस्ट के उद्येश्य : -

यह ट्रस्ट शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं परमार्थिक कार्यो की क्रियान्वित करने के लिये गठित किया गया है तथा इसके निम्नलिखित उद्देश्य रहेंगे: -

- 01. सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों की स्थापना, विकास, रख-रखाव एवं संचालन तथा सांस्कृतिक-सामाजिक एकता एवं समरसता के विकास हेतु कार्य करना अथवा कराना ।
- 02. विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक एवं नित कला की उन्नित के लिए संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना अथवा कराना।
- 03. मानव संसाधन विकास के उधेश्य हेतु विघालय, चिकित्सालय, सेवा-सदन एवं नाँच केन्द्र, दन्त महाविघालय, चिकित्सा महाविघालय, पशु चिकित्सालय, तथा उससे संबंधित नाँच केन्द्र, अभियंत्रण महाविघालय, परिचारिका प्रशिक्षण महाविघालय, शिक्षण-स्नातक महाविघालय, बहुशिल्प महाविघालय एवं अन्य प्रकार के व्यवसायिक संस्थानों एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना अथवा कराना।
- 04. एलोपैथिक, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक एवं हर्वल आदि दवाओं के शोध, विकास, निर्माण, वितरण एवं आयात तथा निर्यात करना अथवा कराना।
- 05. विदेशी शैक्षणिक संगठनों एवं संस्थानों अथवा सरकारों के साथ संवंध कायम रखकर अन्तर्राष्ट्रीय समझदारी को उन्नत करना अथवा कराना।
- ७६. असहाय, निराश्रित, अपंग, वीमार, अनाथ, वृद्ध, विधवा, निर्धन व्यक्तियों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण अथवा आर्थिक सहायता उपलब्ध करना एवं उनके लिये भोजन, कपड़े, अनाज, रहने की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध करना अथवा कराना।
- 07 मंदिर, अनाथाश्रम, यज्ञशाला, औषधालय, धर्मशाला, गौशाला, वृद्धाश्रम, इत्यादि का निर्माण एवं विकास में आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करना।
- 08. विभिन्न संस्थाएं स्थापित कर समाज के लोगों में आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चेतना जागृत करना तथा विकास करना। इसके अतिरिक्त अन्य समान उधेश्य वाली संस्थाओं को यथासंभव आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता, प्रोत्साहन एवं सहयोग के द्वारा कार्य करना।
- 09. समाज, राष्ट्र एवं भारतीय संस्कृति के चहुमुखी विकास हैतु नृत्यकला, गायनकला, संगीतकला, साहित्य सृजन एवं अन्य नित्त कलाओं के विकास के लिये, विकास में संलग्न संस्थाओं को, किसी भी प्रकार से सहयोग देना, दिलाना अथवा ऐस्प्र कार्य करना ।

Madou Mymer J. 17. 19.17

14-1-15 14-1-161642 14-1-1517 21-1-157

Page 3 of 10

क लिय, विकास में दिलाना अथवा ऐसा

- 11. प्राक्तिक आपदा नैसे आँधी-तूफान, भूकंप, ज्वालागुस्री, ज्ञेग, महामारी इत्यादि से पीडित लोगों को आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना। इसी प्रकार मानव निर्मित विपत्तियों नैसे हड़ताल, युद्ध, दंगों से पीडित व्यक्तियों को नगद अथवा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य कर सहायता प्रदान करना अथवा कराना।
- 12. निर्धन, गरीन एवं अनाथ विघार्थियों को विघाध्ययन हेतु आर्थिक सहयोग देना तथा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, अनुदान पाठ्य सामग्री, पुरत्तकों, शुल्क, पठन एवं पाठन व्यय आदि में सहयोग देकर प्रोत्साहित करना तथा ऐसी संस्थाओं को आर्थिक अथवा पाठ्य सामग्री के रूप में सहायता प्रदान करना अथवा कराना।
- 13. समाज के गरीब, निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना अथवा कराना।
- 14. इस ट्रस्ट के समान उधेश्यों वाले व्यक्तियों, ट्रस्टों, संस्थामीं, सिमितियों, सामुहिक अथवा निजी निकायों आदि को आर्थिक सहाय्रता एवं अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करना अथवा कराना।
- 15. मूक प्राणियों, पशु-पक्षियों को अभयदान, आहारदान, दया करना तथा अन्य प्रकार से इन प्राणियों की रक्षार्थ कार्य करना ।
- 16. ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण सडक निर्माण, विद्यालय निर्माण, सिंचाई, कूप निर्माण, आवास निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना तथा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी ज्ञान प्रदान करना।
- 17. भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करना, लाभार्थियों एवं उनकी समस्याओं के आधार पर परियोजना निर्धारित करना, नवीन तकनिकी का ज्ञान, वर्षा जल का सिचाई हेतु सग्रह एवं अन्य नीवों के लिए सुरक्षित रखना, प्रदुषण नियंत्रण, जल प्रदुषण नियंत्रित करना, आर्थिक विकास से जुड़ें क्रियाकलाप मत्स्य पालन, डेयरी, पौधा रोपण, वागवानी, आदि को वढ़ावा देना उसकी विषणन की व्यवस्था करना, सदस्य या संबद्ध संस्थाओं के परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
- 18. ग्रामीण युवाओं/युवितयों को समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मानव समाज को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ।
- 19. महिलाओं/युवितयों के समाजिक, शैक्षणिक व्यवसायिक शिक्षा सिहत) आर्थिक, भौतिक, नैतिक विकास हेतु कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामोंघोग अप्रिक्षण प्रदान कर कौशल/दक्षता विकास करना तथा

Yaday Kinar Sy

Page 4 of 10

सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियों के द्वारा चारित्रिक एवं नैतिक विकास

- 20. शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने हेतु आवासीय शिक्षा/ अनावासीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना/ संचालन करना तथा बच्चों के बौद्धिक, मानिसक एवं शारिरीक विकास हेतु पाठशाला अध्ययन केन्द्र, व्ययामशाला, पार्क, वाग आदि बनाना ।
- 21. महिलाओं तथा युवतियों को नवीन तकनीकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना ताकि उनकी भागीदारी आधुनिक उद्योगों की स्थापना के लिए सुनिश्चित किया जा सके।
- 22. विकलांगों तथा मन्द बुद्धि बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु विशेष आचासीय विद्यालय की स्थापना करना एवं भारत सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों/ ट्रस्टों / एजेन्सियों / संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं प्राप्त करना ।
- 23. समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, सूचना एवं प्रौघोगिकी विकास, पर्यावरण सुरक्षा, विज्ञान एवं शहरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार/ राज्य सरकार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं, एजेन्सियों, विश्व वैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीयकृत वैंकों से दान-अनुदान, ऋण एवं तकनिकी सहायता प्राप्त करना।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु सामाजिक वानिकी वृक्षारोपन एवं नागवानी आदि 24. कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, संचालित करना, ऋदस्य संस्थाओं को क्रियान्वय में सहयोग प्रदान करना, पौधा वितरण्र करना एवं फलदार वृक्षा रोपण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, नर्सरी का/विकास करना।
- नशा विमुवित एवं मादक द्रव्य व्यसन निरोघ के क्षेत्र परामर्श-सह-चिकित्सालय, 25. सह-पूर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा प्रचार-प्रसार करना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा, अनोपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना 26. करना एवं उसका संचालन तथा साक्षरता दर को वढा़ने में सरकार को सहयोग प्रदान करना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसमुदाय को स्वास्थ्य एवं 27. चिकित्सा केन्द्र-सह-शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना करना ।
- ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, केन्द्र 28. सरकार, राज्य सरकार के कार्यक्रमों से अवगत कराना, स्व रोनगार हेतु प्रोत्साहित करना तथा सरकारी सुविधा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
- शिक्षित वेरोजगारों को ग्रामीण विकास एवं प्रवंधन, मानव संसाधन विकास 29. एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेत् प्रोत्साहित करना।
- महिलाओं, वच्चों, विकलागों, वृद्धों, युवकों एवं युविद्रमीं के कल्याण हेतु 30. विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उनके समाजिक एवं आर्थिक स्थिति को उन्नत्र एवं सुदृढ़ वनाना।

Page 5 of 10

- 31. संस्थान के कार्यालय भवन का निर्माण करना, राज्य रतर जिला रतर, प्रखण्ड, स्तर पर शाखा कार्यालय की स्थापना करना एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण एवं मानव पुनीवास कार्यक्रमों का संचालन करना।
- 32. बाल श्रीमक एवं महिला श्रीमक के सामानिक, श्रीक्षणिक एवं आर्थिक विकास तथा पुर्नवास हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।
- 33. एड्स पर जागरूकता शिविर का आयोजन करना, एवं उसके रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य करना।
- 34. भूमि, जल संरक्षण कार्यक्रम का कियान्वयन करना।
- पशु स्वास्थ्य केन्द्र, परामर्श केन्द्र का संचालन करना एवं रोग मुक्त जीवन हेतु चिकित्सा सुविधा मुहैया करना।
- 36. पंचायतो के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना एवं निर्वाधित जन प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना और परियोजना निर्माण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना और जन प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु निधि प्राप्त करना।
- 37. दूस्ट हेतु समय-समय पर चल एवं अचल संपत्ति को प्राप्त करना, क्रय करना, निर्माण-पुनिर्माण करना, नीर्णोद्धार करना, सुधार करना, विक्रस करना, किराये पर लेना एवं देना, विक्रय करना, ऐसी कार्यवाही नो दूस्ट के हित में हो तथा निससे दूस्ट को आर्थिक आय हो तथा निससे दूस्ट के उक्त उधेश्यों की पूर्ति में सहयोग प्राप्त हो।

# बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन एवं नियमनः -

# 01. दूस्टियों की अधिकतम संख्या :-

वोर्ड ऑफ ट्रस्टीन के ट्रस्टीयों की संख्या 3 तीन) रहेगी। उक्त तीन ट्रिस्टयों में से कुल 1 एक), अध्यक्ष, विशेष ट्रस्टी रहेंगे। उक्त घोषणा पत्र में घोषित 1 एक) ट्रस्टी ट्रस्ट के आनीवन ट्रस्टी होंगे तथा वे नन तक में घोषित 1 एक) ट्रस्टी ट्रस्ट के आनीवन ट्रस्टी होंगे तथा वे नन तक स्वयं निखित त्यागपत्र न दे देंगे, अथवा शारीरीक, मानसिक रूप से या कानुनी तौर पर अयोग्य घोषित न हो नाये तन तक आनीवन ट्रस्टी नने रहेगे। शेष 1 एक) विशेष ट्रस्टी का चुनाव समय-समय पर आनीवन ट्रस्टियों के नहुमत के आधार पर किया नाता रहेगा।

## 02. दूस्टी बनने की योग्यता :-

इस ट्रस्ट के उधेश्य के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास रखनेवाला समर्पित सेवा मापी व्यवित पुरुष हो या महिला हो, ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया जा सकेगा किन्तु उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष इक्कीस वर्ष) वयस्क होना आवश्यक है।

### 03. नामांकन : -

आजीवन द्रस्टीगण अपने जीवनकाल में ही उत्तराधिकारी नामांकित कर सकेगे। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहे तो पत्येक द्रस्टी का प्रथम पुत्र इसका उत्तराधिकारी माना जायेगा। यदि यह किन्ही परिस्थितियों में संभव न हो सका तो उद्भत पद पर आजीवन द्रस्टियों सिहत विशेष द्रस्टियों द्वारा सर्वानुमति क्रे निर्णय से रिक्त पद पर द्रस्टी की नियुक्ति की जायेगी।

Page 6 of 10

यदि कोई दूस्टी दूस्ट के हितों के प्रतिकुल कार्य करता है, या ऐसा कार्य करता हो जिससे दूस्ट की संपत्ति या प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की हानि हो रही हो अथवा शारीरिक एवं मानिसक रूप से दूस्टी के कार्य करने के आयोग्य हो अथवा इंडियन दूस्ट एवट के अधीन जो व्यक्तित दूस्टी बनने योग्य नहीं रह गया हो तो आजीवन दूरिटयों के बहुगत से सफाई का मौका देकर ऐसे दूस्टी को बोर्ड ऑफ दूस्ट से निकाला जा सकेगा।

05. दिस्टयों के अधिकार एवं कर्तव्य :- दूस्ट की उपार्जित समस्त चल एवं अचल संपितयों दूस्ट के नाम से रहेगी, किन्तु उपरोक्त संपितयों को बोर्ड ऑफ दूस्टीन की दूस्ट के हित में उपयोग करने, विक्रय करने, खरीदने, हस्तांतरित करने, किससे पर देने अथवा नेने का अधिकार रहेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीन को अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट के हित में विभिन्न व्यक्तियों, सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी संस्थाओं आदि से नगद अथवा वस्तुओं के रूप में अथवा अन्य प्रकार से स्वैच्छिक दान, ग्रान्ट, सहायता, अंशदान आदि प्राप्त कर सकेंगे एवं उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि को ट्रस्ट के उधेश्यों की पूर्ति हेतु व्यय या उपयोग कर सकेंगे।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीन को ऐसे समस्त कार्य करने की स्वतंत्रता रहेगी, जिससे ट्रस्ट के उधेश्यों की पूर्ति संभव हो। इसमें ट्रस्ट की आय को बढ़ाने के लिये समस्त प्रयास जिसमें व्यवसाय आदि भी सिम्मिलत है, किन्तु उपरोक्त श्रोतों से अर्जित आय का उपयोग ट्रस्ट केवल अपने उधेश्यों की पूर्ति के लिये ही कर सकेगा।

वोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट की विभिन्न पूंजियों चल एवं अचल संपति एवं नगदी का विनियोजन निम्नलिखित संस्थाओं में करने का अधिकार रहेगा :

- क. राष्ट्रीकृत वैंकों
- ख. सरकारी प्रतिभूतियों
- ग. युनिट ट्रस्ट
- घ. सामाजिक संस्था के ऋण पत्र
- ड. सार्वजनिक कंपनियों के अंशो में या साविध जमा के रूप में।
- च. म्यूचल फण्डस की योजनाओं में, तथा
- छ. ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में कर सकेंगे जो कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमोदित है।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीन के कार्यों के लिये किसी भी व्यक्ति, संस्था, वैंक, सरकारी अथवा अन्द्रसरकारी विभागों/संस्थाओं से ट्रस्ट की ओर से अनुबंध हस्ताक्षर कर निष्पादित करने, प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने, आलेख तैयार करने के लिये अधिकृत होंगे, किन्तु ऐसे द्रस्टियों के नाम ट्रस्ट की बैठक में तय किये जायेंगे कि कौन ट्रस्टी किस कार्य के लिये अधिकृत रहेगा।



Page 7 of 10

102,101,12 STATES 21.1.17

ONLY FURSIL SI,01,2019
ASHURSLINGER

Madam Kamor 2

बोर्ड ऑफ द्रस्टीज ट्रस्ट के उद्येश्यों की पूर्ति हेतु तथा द्रस्ट की प्रवंध व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिये अन्य पदाधिकारियों की नियुधित करने, समिति, उपसमिति का गठन करने एवं द्रस्ट के घोषणा पत्र के अनुरूप समय-समय पर नियम, विनियम तथा उपनियम वना सकेंगे ताकि इस द्रस्ट का प्रबंध और प्रशासन सुचारू रूप से संचालित हो सके।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीन यदि चाहे तो ट्रस्ट के कार्यों के लिये वैतनिक या अवैतनिक विभिन्न कर्मचारियों नैसे प्रभारी, सहायक, टंकक, लिपिक, रोकिइया, लेखाकार, निरीक्षक, सफाई कर्मचारी, पुनारी, रोवक इत्यादी को नियुक्त करने, उनके वेतन, भत्ते एवं उनके अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित करने तथा उन्हें पदमुक्त करने, निलंबित करने, आदि के लिये अधिकृत होंगे।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीन ट्रस्ट के उधेश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न व्यवितयों, वैंक, वित्तीय एवं अन्य संस्थाओं, साख समितियों से व्यान पर अथवा विना व्यान पर अथवा बिना व्यान के ऋण ले सकेंगे एवं प्रतिभूति वतौर ट्रस्ट की किसी भी अचल संपति को गिरवी भी रख सकेंगें।

भविष्य में ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं समितियों के संचालन हेतु ट्रस्टीगण समय-समय पर परियोजना समिति का गठन कर सकेंगें तथा इन संस्थाओं एवं समितियों का संचालन ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के निर्देशानुसार होगा एवं परियोजना समिति की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों क्रो समय से पूर्व भंग कर सकेंगी। लेकिन ऐसी भंग की गयी परियोजना समितियों का पुर्नगठन अधिकतम 6 माह में करना आवश्यक होगा तथा जब तक परियोजना समिति/समितियों का पुर्नगठन नहीं हो जाता, जब तक उसका संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा किया जायेगा

आजीवन द्रस्टी तथा उनके उत्तराधिकारी द्रस्ट के लिये किये गये कार्यो हेतु किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहेंगे तथा उन्हें द्रस्ट के कार्य अवैतनिक की हैसियत से करने होंगे, तथापि द्रस्ट के उधेश्यों की प्राप्ति हेतु किये जानेवाले विभिन्न कार्यों में कोई व्यय उनके पास से होगा तो वे उसका भुगतान द्रस्ट से प्राप्त करने के अधिकारी होंगें।

#### क) <u>अध्यक्ष</u> के अधिकार एवं कर्त्तव्य : -

अध्यक्ष संस्था की एकता का एतीक होगा और ट्रस्ट की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पिवत्रता और समग्रता का प्रहरी होगा तथा सभी प्रकार की वैठक की अध्यक्षता करेगें और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की रिश्वित में निर्णायक मत देने के अधिकारी होगें। ट्रस्ट के किसी विषय पर विचार के लिये बैठक बुलाने के लिये निर्देश देने का अधिकार अध्यक्ष को होगा और उसके निर्देशानुसार सिचव को बैठक बुलाना अनिवार्य होगा। असामन्य रिश्वित मे ट्रस्ट के आवश्यक कार्यों का सम्पन्न करना। ट्रस्ट के नियमों के प्रतिकूल कार्याही को रोकना।

### ख) <u>सचिव के अधिकार एवं कर्त्तव</u>्य : -

) सचिव द्रस्ट के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगें तथा द्रस्ट के दैनिक प्रशासन से सम्बन्धित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के ज़िया सर्वीच्य पदाधिकारी होगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकारी के अधीन रहकर द्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।

Page 8 of 10

120len Kumur 201

- 2) द्रस्ट के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।
- द्रस्ट की ओर से पत्राचार करना। 3)
- ट्रस्ट की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा अध्यक्ष के परागर्श से 4) वैठकों के लिये एनेन्डा/ कार्यक्रम बनाना।
- ट्रस्ट के समस्त आय-व्यय का लेखा तैयार करना तथा उनका 5) अंकेक्षण किसी मान्य सनदी लेखाकार से कराना एवं उसकी सम्पुष्टि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कराना तथा वार्षिक वजट पस्तुत करना ।
- ट्रस्ट की आर्थिक रिश्वित सुधारने के लिये सुझाव देना एवं वोर्ड ऑफ द्रस्टीज़ के समक्ष प्रस्तुत करना तथा द्रस्ट के विकास हेतु प्रतिनिधित्व करना ।
- बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों का सम्पादन/अनुपालन करना। 7)

#### <u>कोषाध्यक्ष</u> ग)

ट्रस्ट का आय व्यय, प्राप्ति, भुगतान, संपतियों, निधियों आदि के हिसाब-किताब के लिये विभिन्न लेखा पुस्तके, रसीद, वाउचर्स, रोकड़, खाता बही, नकल, अचल संपति रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टर का लेखा जोखा रखना तथा उपरोक्त लेखा पुस्तकों का द्रस्टियों द्वारा अधिकृत किसी अंकक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराना। प्रति वर्ष का लाभ हानि खाता र्राथा स्थिति विवरण पत्रक द्रस्टियों के समक्ष प्रस्तुत करना।

#### न्यास) कोष का संचालनः -7. ट्रस्ट

न्यास के नाम प्राप्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत/निवंधित वैक या डाकघर में रखा जायेगा। न्यास के खाता न्यास के अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा। खाता का संचालन उपरोक्त में से एक पदधारकों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगी साथ हीं साथ भविष्य में खाता संचालन में किये गये परिवर्तन की सूचना न्यास में घोषित आजीवन द्रस्टियों द्वारा दी जायगी।

#### <u>ट्रस्ट का वित वर्ष</u> : 8.

टूस्ट का वित्तीय वर्ष प्रति वर्ष ३१ मार्च को समाप्त माना जायेगा।

#### दूस्टियों की सभा एवं कोरम 9.

ट्रस्ट के विभिन्न पुद्दों पर विचार करने हेतु ट्रस्टीगण समय-समय पर वैठक का आयोजन करेंगे तथा उसमें लिये गये निर्णयों के आधार पर उन्हें क्रियान्वित करेंगे।

उपरोक्त कार्यों को वे विभिन्न दूरिटयों को परिपत्रों कें रूप में भेजकर भी निष्पादित कर सकेंगे, किन्तु ट्रस्टियों की वर्ष में कम से कम दो 2) या पूत्येक छः महीने में कम-से-कम एक वार वैठक होना अनिवार्य होगा तथा ट्रस्टियों की बैठक में कम से कम घोषित तीन आजीवज़ ट्रस्टियों के साथ-साथ घोषित विशेष द्रस्टियों की संख्या का एक तिहाई के वरावर द्रस्टी उपरिश्वत होने पर ही सभा का कोरम पूरा माना नार्स्रेगा। अन्यथा स्थिगत करना होगा।



Page 9 of 10

- ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों के लिये प्रवंध तथा प्रधारान संबंधी अधिकार 01. बोर्ड ऑफ दुस्टीन में निहित होंगे।
- संदेह दूर करने के लिये यह रणए किया जाता है कि उपत दूरट की स्थापना 02. किसी व्यक्ति समाज, समुदाय विशेष के लिये न होकर सभी नाति, धर्म, संप्रदायों तथा वर्गों के व्यक्तियों के हितों के लिये की गयी हैं।
- ट्रस्ट की बैठकों की कार्यवाही का एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें विभिन्न 03. बैठकों में लिये जये निर्णयों को लिपिवल्झ किया नायमा तथा उस पर अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर होगें।
- दुस्ट की सभी कार्यवाहियों एवं व्यवहार का संचालन दूरर के नाम से ही 04. किया जारोगा।
- इस ट्रस्ट डीड में या ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाये नये विभिन्न 05. नियमो या उपनियमों में परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक हुआ तो दूरटीयों द्धारा 3/4 तीन चौथाई) बहुमत से आवश्यक परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन किया जा सकेगा।
- ट्रस्ट के इस घोषणा पत्र में यदि काई वात स्पष्ट नहीं है या निखने में छुट गयी हो तो उसका निर्णय भारतीय द्रस्ट आधिनियम 1882 अथवा उस समय 07. प्रचलित कानून के अनुसार किया जारोगा।
- ट्रस्ट की बैठक में सभी निर्णय वहुमत से लिये जायेंगे, किन्तु इस हेतु थैठक में किसी मुद्दे पर समान मत होने पर सभाश्यक्ष को अतिरिवत मत देने का 08. अधिकार रहेगा।
- इस ट्रस्ट की चल अथवा अचल संपति का उपयोग कोई भी ट्रस्टी अपने 09. व्यक्तिगत उपयोग के लिये नहीं कर सकेगा।
- ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट तथा को दान देनेवालों के हितार्थ समुम-समय पर ट्रस्ट के लिये आयकर अधिनियम में ऐसी छुट प्राप्त कर सुळेंगा जो कि उस समय 10. लागू हो।
- यह ट्रस्ट अखण्डनीय है। 11.

अतः तदानुसार आज ईश्वर के आशीर्वाद से दिनांक ......को इस ट्रस्ट की घोषणा द्रस्ट के संस्थापक व आजीवन द्रस्टी ने निम्निलिखित द्रस्टियों एव साक्षियों की उपस्थिति में सोच-समझकर अपनी स्वेच्छा एवं परिणामों की जानकारी से इस ट्रस्ट को सर्वोपयोगी एवं उज्जवल भविष्य प्रदान करने क्रे उद्देश्य से हस्ताक्षर कर निष्पादन किया।

लिपिवद्धकर्ता -

हस्ताक्षर संस्थापक

दस्टीगण के हस्ताक्षर

1. Birnod Kuma

1. HON AME WILLS

3.

2.

計一场的/3第二 चेत्राजी स्ट्रापित किया

गवाह

Page 10 of 10

Maden Wymer J.

## Endorsement of Certificate of Admissibility

Assible under Rule 5: duly Stamped ( or exempted from or does not require stamp duty ) under the Indian Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

2.					
Stamp duty paid under Indian Stamp Act Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	5000/- 0/-	Amt Paid By N.J Stamp Paper Amt paid through Bank Challan	Rs. Rs.	0/- 6520/-
Addi.Starry early para direct rearries			The same same same same same same same sam	Serv	ice Charge

			Dani		Fac					LLR + Proc	Fee	Service Ch
A1	1020	C	Regi	stration H1b	0	Kla	0	111	o	LLR Proc.Fee	0	500
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	1.00	0	Total	0	
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0			
A10	0	E	0	11	0	K2	0	Na	Ü			1
В	0	Hla	0	JZ	U	LI		TOTAL-	1020			

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 1520

Registering Officer Benipatti

Date: 31/01/2017

# Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Benipatti on Tuesday, 31st January 2017 by Vinod Kumar Basudeo Singh by profession Agriculture. Status -

Binod Kumar 31.01.2017

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:31/01/2017

Registering Officer Benipatti

Registering Officer

Benipatti

# Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person ( Identified by 'Sajan Kumar Nayak' age '27' Sex 'M', 'Subodh Nayak', resident of 'Saharghat, Thana-Saharghat, Distt-Madhubani'. ), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date: 31/01/2017

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Benipatti in Book 4 Volume No. 1 on pages on 1 -20, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-1 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer Benipatti

Date: 31/01/2017

Token No.:

435

Year: 2017 S.No.:

426

SCORE Ver.4.1

Deed No . :d No .: 1